22

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 47/2020

दायर दिनांक–12.03.2020

1. जगदीश सिह पुत्र मोहन सिंह जाति रपजूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान। (मृतक)

1/1. सुगन कंवर पत्नी स्व0 जगदीश सिह

1/2. राजेन्द्र सिह पुत्र स्व. जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. नरेन्द्र सिह पुत्र श्री बजरंग सिंह
2. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह
3. नरपत सिह पुत्र श्री बजरंग सिह
4. उच्छव कंवर पत्नी बजरंग सिह
   समस्त जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू रजास्थान।
6. शाखा प्रबन्धक महोदय बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री नरेन्द्र सिंह जाखल**
वकील प्रति. 1 से 4 : – **स्वयं उपस्थित।**

दावा : घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28–09–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम जाखल की सरहद में भूमि नई खाता संख्या 238 पुराना 178 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 3.77 हैक्टर खसरा नम्बर 132 रकबा 0.74 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.51 हैक्टर तथा भूमि खाता संख्या 237 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 2.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.8500 हैक्टर स्थित है उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है जिस पर वादी अपने हिस्से 1/2 पर काबिज व आबाद है और हिस्से अनुसार ही अपनी भूमि को काश्त करते है, हिस्से व कब्जे काश्त का कोई विवाद नही है जिस पर वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 वर्षो से काबिज व आबाद है। वर्णित भूमि जो वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 की भूमि है जिसमें खाता संख्या 238 की भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन वादी के पिता का नाम मोहन सिह की जगह महाबीर सिंह दर्ज हो गया है जिसको दुरूस्त करवाने बाबत वर्णित वादी पेश किया गया है।

वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 की भूमि खसरा नम्बर 145, 249 रकबा क्रमशः 2.20, 0.65 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.85 हैक्टर में भी व[illegible] का नाम गलत दर्ज होने के साथ–साथ वादी व प्रतिवादीगण की भूमि [illegible] कर्मचारियों द्वारा बिना किसी विधिक दस्तावेज के गलत दर्ज कर दिया गया है जबकि वाद[illegible] में वर्णित खाता संख्या 238 की तरह की की खाता संख्या 237 में भी 1/2 हिस्सा वादी के नाम व शेष 1/2 हिस्से को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 के नाम (प्रत्येक के 1/8–1/8) दर्ज होनी चाहिये थी, जो वादी व प्रतिवादीगण के हितों पर कुठाराधात है इसलिये वर्णित वाद में उक्त राजस्व रिकार्ड को जिसमें वादी के पिता का नाम व खाता संख्या 237 की भूमि का दुरूस्तीकरण वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 द्वारा चाहे जाने पर वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:24 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 की उक्त वर्णित भूमि आज भी शामलाती रूप से काश्त की जा रही है काश्त व कब्जे का कोई विवाद नही है फिर भी गलत राजस्व रिकार्ड दर्ज रहने से भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद पैदा हो सकता है व वादी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से वादी बैंक आदि से न तो ऋण प्राप्त कर सकता है न ही सरकार की अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर पा रहा है इसलिए उक्त वाद वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने बाबत व खाता संख्या 237 का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने वाद घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड का पेश किया गया है।

वादीगण ने अपने वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि ग्राम जाखल की सरहद. में नई खाता संख्या 238 पुराना 178 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 102, 132 रकबा क्रमशः 3.77, 0.74 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.51 हैक्टर तथा भूमि खाता संख्या 237 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 2.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.85 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम महाबीर सिंह की जगह वादी के पिता का वास्तविक व सही नाम मोहन सिंह दर्ज किया जावे इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त करने बाबत तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे। ग्राम जाखल की सरहद में भूमि खाता संख्या 237 के अन्तर्गतं भूमि खसरा नम्बर 145, 249 रकबा क्रमशः 2.20, 0.65 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.85 हैक्टर में वादी का 43/57 के स्थान पर 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 7/114 के स्थान पर प्रत्येक का 1/8 – 1/8 हिस्सा अर्थात कुल 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को फरमाया जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाहे जाने से रह गई हो और वादी के हक में पड़ती हो दिलवाई जावे।

वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 इकबाली जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 6 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 का इकबाली जवाब दावा एवं प्रतिवादीगण संख्या 05 लगायत 6 की एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही रहती है।

शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं सुगन कंवर उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये तथा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 ग्राम जाखल की नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 ग्राम जाखल की नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–3 फोटो प्रति राशन कार्ड श्री जगदीश प्रसाद, प्रदर्श–4 फोटो प्रति बैंक पासबुक, प्रदर्श–5 फोटो प्रति भामाशाह कार्ड, प्रदर्श–6 फोटो प्रति आयकर कार्ड, प्रदर्श–7 फोटो प्रति मतदाता परिचय पत्र, प्रदर्श–8 फोटो प्रति आधार कार्ड जगदीश सिंह प्रदर्शित करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 की ओर इकबाली जवाब दावा कर वाद वादी स्वीकार करने एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 6 की एक पक्षीय कार्यवाही होने शहादत प्रति[illegible] की गई।

शहादत प्रस्तुत होने बहस वकील वादी एकपक्षीय [illegible] वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस [illegible] दस्तावेजात का वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया। बहस [illegible] अवलोकन किया गया। ग्राम जाखल [illegible] संख्या 238 पुराना 178 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 3.77 हैक्टर खसरा नम्बर 132 [illegible] 0.74 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.51 हैक्टर तथा भूमि खाता संख्या 237 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 2.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.8500 हैक्टर स्थित है जो प्रदर्श–1 व 2 से साबित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 इकबाली जवाब दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:24 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. द्वे.)
नवलगढ

किया गया है। चूंकि जमीन पैतृक व वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 स्वर्गीय मोहन सिंह के वारिसान है। वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत खाता संख्या 238 व 237 की भूमियों में खाता संख्या 238 खसरा नम्बर 102 रकबा 3.77 हैक्टर व खसरा नम्बर 132 रकबा 0.74 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.51 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड तो सही दर्ज है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी 01 लगायत 4 का 1/8–1/8 दर्ज है लेकिन सहवन से खाता संख्या 237 की भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 2.20 हैक्टर खसरा नम्बर 249 रकबा 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.85 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड गलत दर्ज हो गया। जबकि सभी जमीनों में वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक जमीन है, जो कि वाद–पत्र की धारा 1 में दर्ज वंशावली से स्पष्ट है। वाद पेश करते समय वादी के पिता का नाम गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज था जिसको सही करवाने बाबत भी दावा में अनुतोष चाही गया था लेकिन दौराने वाद वादी जगदीश सिंह फौत हो चुके है जिनके जरिये कायम मुकाम उनके वारिस रिकार्ड पर आ चुक है। इसलिए वादी की हिस्सेदारी वारीसान के हिस्से के अनुपात में दर्ज करने का निवेदन है वादी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश है जिसमें भी वादी के पिता का नाम मोहन सिंह उर्फ महावीर सिंह दर्ज हो चुका है जबकि सही नाम मोहन सिह ही था जो कि वाद–पत्र में उपलब्ध दस्तावेजो से साबित है। चूंकि वाद रिकार्ड दुरूस्ती का है वादीगण व प्रतिवादीगण की सहमति है इसलिए वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 238 की भूमि खसरा नम्बर 102, 132 रकबा 3.77, 0.74 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.51 हैक्टर में 1/4 हिस्सा वादिया नम्बर 1 सुगन कंवर पत्नी स्वर्गीय जगदीश सिंह, 1/4 हिस्सा वादिया नम्बर 2 राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री जगदीश सिह यानि कि दोनो का हिस्सा 1/2 खातेदार काश्तकार एवं शेष हिस्सा 1/2 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का हिस्सा 1/8–1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा इसी प्रकार खाता संख्या 237 की भूमि खसरा नम्बर 145, 249 रकबा क्रमशः 2.20, 0.65 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.85 हैक्टर में वादिया नम्बर 1 सुगन कंवर का हिस्सा 1/4, वादिया नम्बर 2 राजेन्द्र सिह का हिस्सा 1/4 यानि कि दोनो का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 04 का प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो से वाद वादी पूर्णतया साबित पाया जाता है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वाद वादीगण साबित पाये जाने के फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जाखल की सरहद में भूमि नई खाता संख्या 238 पुराना 178 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 102, 132 रकबा क्रमशः 3.77, 0.74 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.51 हैक्टर तथा भूमि खाता संख्या 237 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 145, 249 रकबा क्रमशः 2.20, 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.85 हैक्टर में [illegible] व 1/2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ल[illegible] 4 [illegible] को 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा[illegible] राजस्व रिकार्ड में [illegible] पिता का नाम महावीर सिंह की जगह मोहन सिंह दुरूस्त कर तहसीलदार [illegible] दुरूस्त व घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते [illegible] खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:24 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
नवलगढ़
(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर॰ए॰एस॰) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 47/2020 **(जगदीश सिंह आदि बनाम नरेन्द्र सिंह आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.09.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके भूमि ग्राम जाखल की सरहद में भूमि नई खाता संख्या 238 पुराना 178 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 102, 132 रकबा क्रमशः 3.77, 0.74 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.51 हैक्टर तथा भूमि खाता संख्या 237 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 145, 249 रकबा क्रमशः 2.20, 0.65 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.8500 हैक्टर में वादीगण 1/1 व 1/2 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम महाबीर सिंह की जगह मोहन सिंह दुरूस्त कर तहसीलदार नवलगढ को रिकार्ड दुरूस्त व घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.09.2022 को जारी की गई।

ए. सी. ईमयंती (कवंर) .)
ए॰सी॰ई॰एम॰(फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:27:24 IST
Reason: SelfAttested